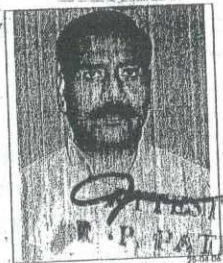




000049



बैनामा 200000/-रुपया स्टाम्प हेतु मालियत 210000/-रुपया स्टाम्प देय 21000/-रुपया जिसमें से 8000/-रुपये का स्टाम्प बजरिये इकरारनामा दिनांक-10.8.2004 प्रलेख संख्या-7363 के द्वारा अदा किया जा चुका है व शेष 13100/-रुपये का स्टाम्प इस समय अदा किया जा रहा है। बिक्रित आराजी स्थित मौजा आन्यौर तहसील व जिला मथुरा मौजे की आराजी का सरकारी रेट सड़क से दूर होने की वजह से 400000/-रुपया प्रति एकड़ का है जो नवीन रेट लिस्ट के पृष्ठ संख्या-41 के कमांक 1 पर दर्ज है। कार्य क्षेत्र उ०नि० मथुरा।

मैं कि नाहरसिंह पुत्र श्री रामजीलाल निवासी ग्राम आन्यौर तहसील व जिला मथुरा विक्रेता प्रथमपक्ष व श्यामसिंह पुत्र श्री रामसिंह निवासी वृन्दावन दरवाजा मथुरा मुहायदा व धारक द्वितीयपक्ष प्रक्षगण इस लेखपत्र के हैं।

6. डी. नाहर सिंह 24/4/06

Handwritten signature



वापस की

क्रमांक ४६ दिनांक २५/११/२००६ २०००/१०००००००००
नाम श्री प्रताप सिंह ४१० गौहर सिंह
अति बड़ा बरतन मधुरा

श्री प्रताप सिंह
पिता श्री ४१० गौहर सिंह
पता पिनकोडा ४१० ११०३

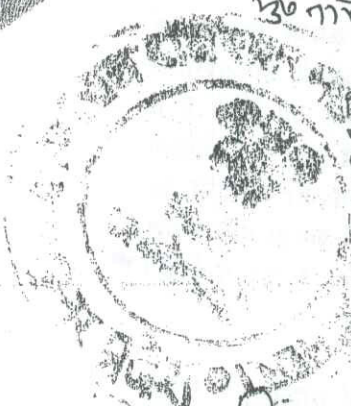
स्टाफ अधिनियम की धारा 16-736
के अन्तर्गत इकरारनामा सं०
वर्ष पर अदा किया गया।
स्टाफ शु. १०० दिवस विलख सं. १००
के साथ समायोजित किया गया।

श्री प्रताप सिंह
पुत्र श्री
नियारी श्री
ने यह प्रलेख आज दिनांक २६/५/०६
को समय मध्य ५:१५ बजे के करीब
उप निबन्धक मधुरा में प्रस्तुत किया।

दिनांक २६/५/०६

उप निबन्धक मधुरा २६/५/०६

प्रस्तुत लेखपत्र का विवरण सुन न समझ कर
तथा अंकेन म० २००००-पुलवोडु ल
प्राप्त कर श्री साधु सिंह ४१० गौहर सिंह ४१० गौहर सिंह निवासी पुर्ण
प्र० पक्ष एवं श्री श्री साधु सिंह ४१० गौहर सिंह निवासी पुर्ण
द्वितीय पक्ष ने स्वीकार किया अतः ४१० गौहर सिंह निवासी पुर्ण
४१० गौहर सिंह निवासी पुर्ण श्री साधु सिंह ४१० गौहर सिंह निवासी पुर्ण
को)



निबन्धक मधुरा श्री साधु सिंह
पुत्र श्री
नियारी श्री
य श्री साधु सिंह
पुत्र श्री
नियारी श्री
ने की।

उप निबन्धक मधुरा २६/५/०६

साधु सिंह ४१० गौहर सिंह निवासी पुर्ण
साधु सिंह ४१० गौहर सिंह निवासी पुर्ण

साक्षी भद्र प्रतीक है।
विद्वान्मण्डल नियमानुसार लिये गये।
२६/५/०६ उप निबन्धक मधुरा

२६/५/०६

5000Rs.



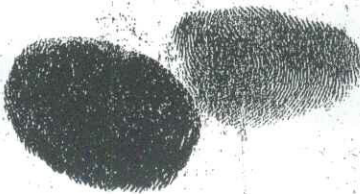
000050

(2)

जो कि आराजी संग्रहणीय भूमिधारी खाता नंबर-331 व खसरा नंबर-64 रकवा 0.636 हैक्टेयर लगानी 8.62 रुपया सालाना बाकै मौजा आन्यौर तहसील व जिला मथुरा का हिस्सा 1/3 मिलिकियत विक्रेता प्रथमपक्ष है और सरकारी कागजात मल में विक्रेता प्रथमपक्ष का ही नाम बहैसियत मालिक दर्ज है। जिस हिस्से 1/3 पर विक्रेता प्रथमपक्ष का कब्जा है और जिसके विषय में विक्रेता प्रथमपक्ष को हर तरह के अधिकार प्राप्त है और जो हर तरह के झगड़े झंझटों व कर्जों आदि से पाक साफ है जिस हिस्सा 1/3 में सिवाय विक्रेता प्रथमपक्ष के अन्य किसी का कोई हक हिस्सा व सम्बन्ध नहीं है न कोई ऐसा व्यक्ति अथवा वस्तु है जो विक्रेता प्रथमपक्ष के हिस्से 1/3 का बैनामा करने में कोई रुकावट या बाधा पैदा कर सके उक्त आराजी पर किसी भी वित्तीय संस्था बैंक आदि या व्यक्ति विशेष का कोई भी वार या भार किसी भी प्रकार का नहीं है यानि कि बेची जाने वाली आराजी हिस्सा

6- जोगाहर सिंह 24/4/06

Atmavet



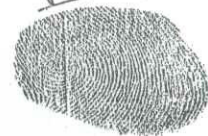


(3)

1/3 एक मात्र पाक साफ मिलिकयत विक्रेता प्रथमपक्ष की ही है मौजे की आराजी का सड़क से दूर होने की वजह से सरकारी रेट 400000/-रुपया प्रतिएकड़ का है और बेचे जाने वाली आराजी हिस्सा 1/3 की स्टाम्प हेतु मालियत 210000/-रुपया है कृषि से कोई खास आय नहीं हो पाती है सौभाग्य से इस समय कीमत अच्छी मिल रही है बेचने में विक्रेता प्रथमपक्ष का सरासर लाभ है कीमत के प्राप्त रुपये को कहीं भी लगा देने से विक्रेता प्रथमपक्ष को एक अच्छी व निश्चित आय हो जावेगी प्रथमपक्ष ने अपनी उक्त आराजी के बेचने का मुहायदा वै दिनांक-10.8.2004 जिसका निबंधन कार्यालय उ0नि0 मथुरा में बही नंबर-1 जिल्द 1238 के सफा 65/80 नंबर-7363 पर हुई द्वितीयपक्ष से तय किया था मुहायदा वै की शर्तों के अनुसार व उसके अनुपालन में यह विक्रय पत्र द्वितीयपक्ष को शामिल कर

उ0नि0 मथुरा 2/8/04

H. Mawad





(4)

उसकी सहमति से किया जा रहा है। जिस मुहायदा वै में 8000/-रुपये का स्टाम्प अदा किया गया था जिसमें से 100/-रुपये का स्टाम्प कमकर 7900/-रुपये का स्टाम्प इस विक्रय पत्र में मुजरा किया जा रहा है व शेष 13100/-रुपये का स्टाम्प अदा किया जा रहा है। अतः उक्त आराजी हिस्सा 1/3 को समस्त अधिकारों सहित जो विक्रेता प्रथमपक्ष को प्राप्त है या भविष्य में प्राप्त हो संकते हों वएवज 200000/-दो लाख रुपया जिसके आधे 100000/-एक लाख रुपया होते हैं। बदस्त श्री प्रतापसिंह पुत्र श्री मौहर सिंह निवसी मोतीकुंज एक्सटेंशन कालौनी मौजा बिरजापुर तहसील व जिला मथुरा के हक में बै कतई कर दिया और बेच दिया और कीमत का

ॐ श्री गणेशाय नमः

Pranav



500Rs.

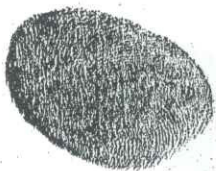


(5)

100000/-रुपया खरीदार से बजरिये. चैक नंबर-050636 दिनांक-25.4.
2006 बैंक ऑफ इण्डिया शाखा मथुरा द्वारा पाये व 100000/-रुपये नकद
वक्त रजिस्ट्री बैनामा प्राप्त कर बेची गई उक्त आराजी हिस्सा 1/3 पर
खरीदार का बाकई कब्जा व कब्जा मालिकाना करा दिया । खरीदार बेची
गई आराजी हिस्सा 1/3 का सम्पूर्ण स्वामी हुआ । खरीदार समस्त अदि

उ. उ. ना. द. प्र. म. र. डी.

Approved





(6)

कार मालिकाना प्रयोग में लावें और स्वयं जो चाहे सो करें अब विक्रेता प्रथमपक्ष व विक्रेता प्रथमपक्ष व उसके वारिसानों का बेची गई उक्त आराजी से कोई भी सम्बन्ध किसी भी प्रकार का शेष नहीं रहा न भविष्य में कदापि हो सकेगा। यदि बेची गई उक्त आराजी हिस्सा 1/3 के सम्बन्ध में कभी कोई विवाद किसी भी प्रकार का उत्पन्न हो या बेची गई उक्त आराजी का

ॐ - गायत्री

24/8

Monawel





(7)

थोड़ा या कुल कच्चा खरीदार से निकल जावे या खरीदार को कुछ खर्च करना पड़े या देना पड़े या कोई बार बरामद हो तो उसकी समस्त जबाबदेही व खर्चा अदालत व अदा करदा रूपया मय जर समन व जर लागत व सूद व हर्जा खरीदार सब विक्रेता प्रथमपक्ष जिम्मे है और खरीदार वह सब मुझसे व विक्रेता प्रथमपक्ष वारिसानों व विक्रेता प्रथमपक्ष चल अचल सम्पत्ति से हस्व जाब्ता मय खर्चे के बसूल करलें । आराजी एक फसला है आराजी कृषी कार्य में आ रही है आराजी में इस समय कोई फसल नहीं खड़ी है न ही आराजी में कोई पेड़ आदि है । विक्रेता व केता दोनो ही अनुसूचित जाति के सदस्य है । उक्त आराजी के 200 मीटर

637-0714756/4/18

Amravel



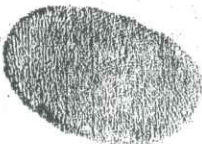


(8)

(सराउन्डिंग) में कृषी कार्य हो रहा है। फोटो प्रमाणित राजेन्द्र प्रसाद पाठक एडवोकेट ने किये हैं। उक्त प्रलेख क्रेता विक्रेता के कहे अनुसार गवाहों के समक्ष उन्हें पढ़ा व सुनाकर उनके निर्देशानुसार ड्राफ्ट किया गया है। विक्रेता ने अपना सम्पूर्ण अंश बेचा है। मुख्तारनामा आम दिनांक-30.12.2003 जिसका निबधन कार्यालय उ०नि० मथुरा में बही नंबर-4 जिल्द 33 के सफा 163/166 नंबर-560 पर दिनांक-30.12.2003 हुआ है, के द्वारा मुझ राम अग्रवाल पुत्र श्री उमांशकर अग्रवाल निवासी गली ठठेरान शहर मथुरा को क्रेता श्री प्रतापसिंह पुत्र श्री मोहर सिंह निवासी मोतीकुंज एक्सटेंशन कालौनी मौजा बिरजापुर तहसील व जिला मथुरा के हक में बैनामा कराने कीमत का रूपया अदा करने व बैनामा रजिस्ट्री कराने आदि के पूरे पूरे अधिकार प्राप्त हैं।

ॐ श्री गणेशाय नमः २५/१२/०३

[Signature]





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

लिहाजा यह बैनामा वखुशी राजी खूबसोचंसमझकर लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवें।

दिनांक-25.4.2006
कम्प्यूटराईज्ड : गोपाल कृष्ण झारिया पुत्र स्व० श्री महेशकुमार
गिराज फोटो स्टेट रजिस्ट्री कार्यालय के सामने, मथुरा
ड्राफ्ट किंग : सुभाष कुमार चतुर्वेदी एडवोकेट, मथुरा ।

डा. नहर सिंह गुजाला

~~Homework~~

[illegible][illegible]

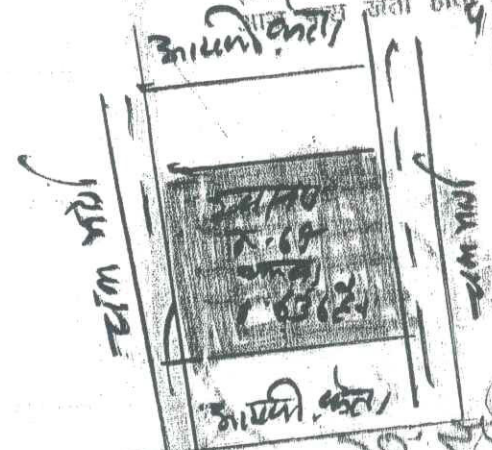
[illegible]

26.09.06
3P3-42
4724

महिला न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जाएगी
 2014-15 के 64 नए न्यायाधीश

महिला न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जाएगी
 2014-15 के 64 नए न्यायाधीश

आरोपी को जमाना
 200 मीटर की दूरी पर
 आवासीय व अन्य भवन के अंदर
 (दिल व जिनका के अंदर)
 आवासीय भवन में होती है



39
 4

महिला न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जाएगी
 2014-15 के 64 नए न्यायाधीश

उद्धरण खतौनी

ग्राम क्रमांक : 07010600254

ग्राम का नाम : आन्धौर

परगना : कोसी खुर्द

तहसील : सदर

जनपद : मधुरा

फसली वर्ष : 1408-1413

भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खानेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भूमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाने के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे .)	खानेदार द्वारा देव मालगुजारी या लगान वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
------------------------------	----------------	--------------------------------	-------------	---	--	--	---	---------

1 ----- 2 ----- 3 ----- 4 ----- 5 ----- 6 ----- 7-12 ----- 13

श्रेणी : 1-क भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो।

00331 रामजीलाल बसन्ता नि. ग्राम 1360फ 41 0.3520 1360फ 64 0.6360

1408फ व आदेश रा0 नि0 कोसीखुर्द दि0 05.05.01 प क 11 क के

क्रमंक 136 खाला स0 331 पर रामजीलाल मूलक का नाम
खारिज करके वारिस भगवानसिंह व नाहर सिंह पुत्राण
रामजीलाल व श्रीमती रामकटोरी पत्नी स्व0 रामजीलाल
नि0 ग्राम बतौर वारिस दर्ज हो। ह0 ले0 05.05.1

1411फ.व आदेश तह0 मधुरा वादस0 3771TM/
7.2.04/12.2.04को आदेश हुआ कि खाला स0 331 के ख0
स0 41/0.352है0 ल0 4.80व खाला स0 6 के ख0 स0
42/0.514है0 ल0 6.90 से विक्रेता पालरिया पुत्र

मनीराम नि0 महलीवहैसयत मूखसर नामा इन्द्र चन्द
पुत्र सुश्री व ओम प्रकाश पुत्र विरजी व दयाली व
शिवचरन पुत्राण जंगली व भगवान सिंह व नाहर सिंह

पुत्राण रामजीलाल व रामभरोसी पत्नी राम जी
लाल नि0 ग्राम का नाम खारिज करके केता
प्रताप सिंह पुत्रश्रीमोहर सिंह नि0 मोती कुन्ज

एक्सटेशन मीना विरजपुर का नाम मूखार नामा
दि0 28.10.02 व 22.10.02 व कैनामादि0 24.10.03 व
26.12.03 दर्ज हो।

ह0 ले0 17.02.4
1413फ व आदेश श्रीमान तहसीलदार मधुरा वाद संख्या
399TM ता.कै. 27.1.06 के अनुसार खाला संख्या 331

खसरा संख्या 64 रकबा 0.630 भू.रा.8.60 के 2/3 भाग
से विक्रेता भगवान सिंह पुत्र रामजीलाल व रामकटोरी
पत्नी रामजीलाल निवासी आन्धौर का नाम खारिज करके

07010600254

ग्राप्त का नाम : आन्ध्रौर

परगना : कोसी खुर्द

तहसील : सदर

मथुरा

फसली वर्ष : 1408-1413

भाग : 1

टिप्पणी

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्राप्त होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे .)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगाना	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका संराज उनको संख्या तथा दिनांक साहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद
------------------------------	----------------	--------------------------------	-------------	--	--	--	--	--

1 -----2----- 3 4 5 6 7-12 13

क्रेता प्रताप सिंह पुत्र मोहर सिंह निवासी मोतीकुन्ज
एक्सटेंशन मथुरा का नाम बतौर सं. पू. दर्ज हो।
ह. र. का. 27.1.06
1415 फ प आदेश श्रीमान ना तह गोवर्धन वाद संख्या
286NTGता के 09.04.08 के अनुसार खता संख्या
331 के खसरासंख्या 64 रकबा 0.636है0 पू रा
8.62रू के यथाचित भाग से विक्रेता नाहरसिंह पुत्र
रामजी लाल निवासी आन्ध्रौर का नाम खारिज करके
क्रेता प्रतापसिंह पुत्र मोहरसिंह नि मोतीकुन्ज
एक्सटेंशन कालौनी मौजा बिरजापुर तह व जिला
मथुरा का नाम बजाये बैनामा दि 25.04.06 के
बतौर सं पू अंकित हो ह स र का 09.04.08

कुल गाटे : 2 कुल क्षेत्र : 0.9880 13.40

हस्ताक्षर

उद्धरण खतौनी

परगना : कोसी खुर्द

तहसील : सदर

भाग : 1

ग्राम क्रमांक : 07010600254

ग्राम का नाम : आन्धर

फसली वर्ष : 1408-1413

जनपद : मधुपुरा

खता	खतादार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्राप्त होने का प्रारम्भ वर्ष	खते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खतादार द्वारा देव मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आग्रा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आग्रा देने वाले अधिकारी का पद	दिप
-----	---------------	-----------------------------	-------------	--	-------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---	-----

1	2	3	4	5	6	7-12	1
---	---	---	---	---	---	------	---

श्रेणी : 1-क भूमि जो संक्रमणीय भूमिधर के अधिकार में हो।

00331	रामजीलाल	बसन्ता	नि. ग्राम	1360फ	41	0.3520	1408फ	व आदेश रा0 नि0 कोसीखुर्द दि0 05.05.01 प क 11	
-------	----------	--------	-----------	-------	----	--------	-------	--	--

1360फ 41 0.3520 1360फ 64 0.6360

व आदेश रा0 नि0 कोसीखुर्द दि0 05.05.01 प क 11 क्रमांक 136 खता सं0 331 पर रामजीलाल मृतक का खारेज करके वारिस भगवानसिंह व नाहर सिंह पुत्राणा रामजीलाल व श्रीमती रामकटोरी पत्नी स्व0 रामजीलाल नि0 ग्राम बलौर बसिंस दर्ज हैं। ह0 ले0 05.05.1 1411फ.व आदेश तह0 मधुरा वादस0 377TM/ 7.2.04/12.2.04को आदेश हुआ कि खता सं0 331 सं0 41/0.352ह0 ले0 4.80ले खता सं0 6 के ख0 रु 420.514ह0 ले0 6.90 से बिकेत प्रातिसा पुत्र मनीराम नि0 महौलीबहैसियत मूजवार नामा इन्द्र व पुत्र सुजी व ओम प्रकाश पुत्र विरवी व दयौली व शिवचरण पुत्राणा जंगली व भगवान सिंह व नाहर सिंह पुत्राणा रामजीलाल व रामभरो पत्नी राम जी लाल नि0 ग्राम का नाम खारिब करके ब्रेला प्रताप सिंह पुत्रश्रीमांहर सिंह नि0 मोती कुन्व एक्सटेशन मीना विरवापुर का नाम मूजवार नामा दि0 28.10.02 व 22.10.02 व वैनामादि0 24.10.0 26.12.03 दर्ज हैं। ह0 ले0 17.02.4

1413फ व आदेश श्रीमान तहसीलदार मधुरा वाद संख 399TM ता.कै. 27.1.06 के अनुसार बसन्ता संख्या 3 व संख्या 64 रकबा 0.630 म.ग. 8.00 व 2.3 म. से बिकेत भगवान सिंह पर रामभरोलाल व रामकटोरी

मौजा आन्धीर, तहसील मथुरा, जिला मथुरा

वाद संख्या 143/2006-7

प्रतापसिंह बनाम सरकार

धारा 143 जो वि० एवं मु० चय 300

मौजा आन्धीर

रजिस्ट्रार घोषणा अन्तर्गत धारा 143 जो वि० एवं मु० चय 300



तहसीलदार, मथुरा को आख्या दिनांक 15. 11. 2006 से विदित है कि मौजा आन्धीर तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या 6 खसरा संख्या 62/0. 833, खाता संख्या 75 खसरा संख्या 42/0. 514, खाता संख्या 160 खसरा संख्या 65/0. 445, खाता संख्या 204 खसरा संख्या 59/0. 612, खाता संख्या 331 खसरा संख्या 64/0. 414 व 41/0. 352 हे. प्रतापसिंह पुत्र मोहरसिंह निवासी मोतीकुंज एक्सटेंशन मौजा विरजापुर तहसील व जिला मथुरा संग्रामीय भूमिधर एवं बागजात हैं। मौजे पर यह भूमि कृषि, बागवानी, मत्त पालन, कुक्कुटपालन, पशुपालन आदि कृषि के उपयोग में नहीं लाई जा रही है। इस भूमि में गांव सभा भूमि प्रस्तावित नहीं हैं और न यह भूमि किसी सरकारी अथवा सरकारी विभाग द्वारा अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित नहीं हैं। तहसीलदार, मथुरा द्वारा आवंटन घोषित किए जाने की संस्तुति की गई है।

अतः प्रसंगत भूमि को तहसीलदार, मथुरा की उक्त आख्यानुसार निम्न प्रकार अतिरिक्त घोषित किया जाता है।

मौजा परगना व जिला	भूमिधर का नाम, पता व निवास स्थान	खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा	ग्राजस्व	अतिरिक्त उपयोग में आने वाली भूमि खसरा रकबा ग्राजस्व	अन्य		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आन्धीर मथुरा	प्रतापसिंह पुत्र मोहरसिंह निवासी मोतीकुंज एक्सटेंशन मौजा विरजापुर तहसील व जिला मथुरा	6	62	0.833	13.65	62	0.833	13.65	पैसे ✓
		42	42	0.514	6.90	42	0.514	6.90	पैसे ✓
		75	38	0.093	1.50	38	0.093	1.50	पैसे ✓
		160	65	0.445	8.10	65	0.445	8.10	पैसे ✓
		204	59	0.612	10.10	59	0.612	10.10	पैसे ✓
		331	64	0.414	5.60	64	0.414	5.60	पैसे ✓
			41	0.352	4.80	41	0.352	4.80	पैसे ✓

योग- 05 किता 07 किता 3.263 50.65 07 किता 3.263 हे. 50.65

उपरोक्त घोषणा को एव-एक प्रति तहसीलदार, मथुरा व उप निवन्धक

मथुरा को अभिलेखों में दर्ज करने हेतु भेजी जाने।

दिनांक : 22. 11. 2006

अवनोश कुमार शर्मा
उप जिलाधिकारी, मथुरा।

5210
प्रतापसिंह

प्रतिलिपि तहसीलदार, मथुरा व उप निवन्धक, मथुरा को उपरोक्तानुसार

कारवाई हेतु प्रेषित।

दिनांक : 22. 11. 2006

अवनोश कुमार शर्मा